इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16 जनवरी 2021

क्र. जि. पं.-पंचा.-प्रको.-2021.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 400, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत मोहना को नगरीय क्षेत्र में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है, उल्लेखनीय है कि दिनांक 26 जून, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना एवं दिनांक 16 अगस्त, 2019 को प्रकाशित जाहिर सूचना के क्रम में प्राप्त दावे/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 405 (3) के तहत राज्यपाल द्वारा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना के क्रम में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के तहत मैं कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर निम्न अनुसूची में दर्शाई गई ग्राम पंचायत एवं सम्मिलित ग्रामों को ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किये जाने की अधिसूचना प्रकाशित करता हूँ.

क्र.	विस्थापित की जाने वाली ग्राम पंचायत	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम	तहसील	विस्थापित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मोहना	मोहना	घाटीगांव	मोहना का संपूर्ण राजस्व ग्राम
		बरईपुरा	घाटीगांव	बरईपुरा का संपूर्ण राजस्व ग्राम

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.